

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक : एफ.6(45)प्रसु/अनु-3/2007

जयपुर, दिनांक 22-12-2016

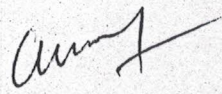
:: आज्ञा ::

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2009 के द्वारा राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था। सुराज संकल्प के बिन्दु संख्या 3.2 की अनुपालना में "राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड" का नाम परिवर्तित कर अब "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड" किया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य, उद्देश्य एवं कार्य पूर्ववत् ही रहेंगे।

आज्ञा से,
- 1
22/12/16
(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्रीगण/मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
6. कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण (परिवर्तित नाम 'बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड') से अनुरोध है कि उक्त मूल पत्रावली को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से यथा शीघ्र प्राप्त कर लेवें।
10. रक्षित पत्रावली।


(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

प 6(45)/प्र.सु./अनु.3/2007

जयपुर विभाग

आज्ञा

राज्य में बंजर भूमि विकास, बंजर भूमि विकास से सम्बन्धित सभी विभागों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप में जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, सामाजिक तकनीकी, बायोमास विकास व बायोफ्यूल गतिविधियों हेतु समुचित रूप में विस्तृत दीर्घ कालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने एवं बंजर भूमि पर किये वृक्षारोपण से प्राप्त उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड को गठन किये जाने की महामहिम राज्यपारा महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1 | माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2 | माननीय मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 3 | माननीय मंत्री महोदय, कृषि विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 4 | माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 5 | माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 6 | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। | सदस्य |
| 7 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 8 | प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 9 | प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 10 | प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 11 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 12 | प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 13 | प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 14 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 15 | शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर। | सदस्य |
| 16 | कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर। | सदस्य |
| 17 | कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर। | सदस्य |
| 18 | माननीय गैर सरकारी संगठन (तीन) | सदस्य |
| 19 | माननीय सामाजिक कार्यकर्ता (तीन) | सदस्य |
| 20 | राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य (छः सदस्य)
(जिला प्रमुख तीन / विधान सभा सदस्य तीन) | सदस्य |
| 21 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य सचिव |

बोर्ड के उद्देश्य :-

राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों एवं विषयों पर नीति (Policy) निर्धारण करते हुये प्रभावी क्रियान्वयन की सामरिकी (Strategy) तय कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा :-

1. राजस्थान में उपलब्ध बंजर भूमि का विकास करना व ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास व रोजगार के नये अवसर सृजित करना।
2. व्यक्तिगत/संस्थागत/राजकीय सभी प्रकार की बंजर भूमि का विकास सुनिश्चित करना।
3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सम्बन्धित विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु मोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

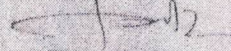
बोर्ड के निम्न कार्य होंगे :-

वेस्टलेण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि के विकास हेतु विस्तृत दीर्घकालीन योजना तैयार करना।
2. पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय सेवा संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी कंपनियों की कार्यक्रमा में भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. बंजर भूमि विकास हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास कार्य करवाना।
4. क्षमतावर्धन/जागरूकता/तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा बंजर भूमि का उपयोग सुनिश्चित करना।
5. बंजर भूमि विकास के लिए पैड पौधों को लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन करना।
6. बंजर भूमि विकास हेतु उपयुक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. पौधशाला/वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था करना।
8. सामाजिक तानिकी (इंधन व चारा उत्पादन), नारागाह विकास, बायोडीजल के उत्पादन हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती एवं परियोजना आदि को प्रोत्साहन करना।
9. बंजर भूमि विकास हेतु लगाये गये पौधों से प्राप्त उत्पाद के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
10. राज्य में मौजूदा बंजर भूमि उपयोग की समीक्षा कर भूमि की क्षमताओं को अनुसार उसके उपयोग की राज्य सरकार को सिफारिश करना।

बोर्ड आवश्यकतानुसार बैठकें करेगा, लेकिन कम से कम 8 माह में एक बैठक आवश्यक होगी। इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग होगा।

आज्ञा से

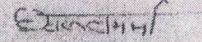


शारान उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीवर्ग/मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
6. कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/ महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोप्यूल प्राधिकरण को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।

नोट:- उपरोक्त आज्ञा के क्रम संख्या 20 पर गाननीय विधायकों का रास्ते के रूप में मनोनयन गाननीय अध्यक्ष विधानसभा की अनुमति बाद पृथक से किया जायेगा।



अनुयायाधिकारी

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : प.75/RD/BFA/RWDB/08-Pt.

आज्ञा

जयपुर, दिनांक: 21.07.2015

राज्य में बंजर भूमि के विकास हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6 (45) प्र.स./अनु.3/2007 दिनांक 07.08.2009 के द्वारा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की अनुमति पश्चात उक्त बोर्ड में निम्नानुसार माननीय विधायक एवं गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किये जाते हैं:-

1. विधायक गण

1. श्री जोगाराम पटेल, माननीय विधायक - लूणी (जोधपुर)
2. श्री भीमा भाई, माननीय विधायक - कुशलगढ (बांसवाडा)
3. डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, माननीय विधायक, दूदू (जयपुर)

2. जिला प्रमुख:

1. श्री मूलचन्द मीणा - जयपुर।
2. श्री पैमाराम सिरवी - पाली।
3. श्रीमति टीना कुमारी - झालावाड।

3. सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री उम्मेद सिंह अरावा - बाडमेर।
2. श्री सांगसिंह भाटी, पूर्व विधायक
3. श्री रामप्रताप कासनिया, पूर्व विधायक।

4. स्वयं सेवी संस्थाएँ:

1. सेवा मंदिर, उदयपुर।
2. गीता राजपाल, पायल जनकल्याण, झालरापाटन।
3. ग्राम विकास एवं नवयुवक मण्डल - लापोडिया बाया दूदू, जयपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

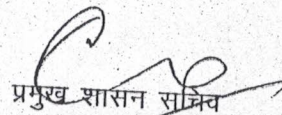
sd-

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/मुख्य सचिव महोदय
5. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग जयपुर।
9. कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर/महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. माननीय सदस्य।
11. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनु-3)विभाग, जयपुर।
13. उपशासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर को पत्र क्रमांक: प.15(1)संसद/2015 पार्ट-2(4) दिनांक 13.07.2015 के संदर्भ में।
14. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
16. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग